

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०—१ / अ०प्र०—१—३६ / २०११

४९

/ पटना, दिनांक ०९/०२/२४

ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों के-बीच पूर्व में आवंटित कार्यों को संशोधित करते हुए विभिन्न प्रशास्त्राओं में आवंटित कार्य पदाधिकारियों द्वारा निम्न शृंखलानुसार निष्पादित किये जायेंगे:-

| क्र० सं० | प्रशास्त्रा | प्रशास्त्रा को आवंटित कार्य | कनीय प्रभार | अगले प्रक्रम के पदाधिकारी | अगले प्रक्रम के पदाधिकारी | अंतिम प्रक्रम के पदाधिकारी |
|----------|----------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | प्रशास्त्रा—०१ | मुख्यालय स्थापना पदाधिकारियों से संबंधित कार्य | श्री संजय कुमार, अवर सचिव | श्री कुमार अनिल सिंहा, संयुक्त सचिव | श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर सचिव | सचिव |
| 2 | प्रशास्त्रा—०२ | अंचलों एवं प्रमंडलों के निगरानी संबंधित एवं अन्य कार्य | — | श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव | श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर सचिव | सचिव |
| 3 | प्रशास्त्रा—०३ | अंचलों एवं प्रमंडलों के निगरानी संबंधित एवं अन्य कार्य | — | श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव | श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर सचिव | सचिव |
| 4 | प्रशास्त्रा—०४ | कनीय अभियंता के स्थापना एवं उससे संबंधित अन्य कार्य | — | — | अभियंता प्रमुख | सचिव |
| 5 | प्रशास्त्रा—०५ | सहायक अभियंता के स्थापना एवं उससे संबंधित अन्य कार्य | — | श्री कुमार अनिल सिंहा, संयुक्त सचिव | श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर सचिव | सचिव |
| 6 | प्रशास्त्रा—०६ | कार्यपालक अभियंता एवं उससे उपर के अभियंता के स्थापना एवं अन्य कार्य | — | श्री इप्टेखार अहमद, उप सचिव | श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर सचिव | सचिव |
| 7 | प्रशास्त्रा—०७ | न्यायालय एवं सेवांत लाभ के मामले एवं अन्य कार्य | — | श्री अशोक कुमार द्वे, विधि परामर्शी | श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव | सचिव |
| 8 | प्रशास्त्रा—०८ | वर्ग—३ का क्षेत्रीय स्थापना एवं अन्य कार्य | श्री संजय कुमार, अवर सचिव | श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव | अभियंता प्रमुख | सचिव |
| 9 | प्रशास्त्रा—०९ | विधान परिषद् एवं संबंधित समिति एवं अन्य कार्य | श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव | संबंधित मुख्य अभियंता | अभियंता प्रमुख | सचिव |
| 10 | प्रशास्त्रा—१० | विधानसभा एवं संबंधित समिति एवं अन्य कार्य | श्रीमती मंजु सीमा तिग्ना, अवर सचिव | संबंधित मुख्य अभियंता | अभियंता प्रमुख | ० सचिव |
| 11 | प्रशास्त्रा—११ | वर्ग—४ का स्थापना/पथ हस्तानान्तरण एवं अन्य कार्य | श्री संजय कुमार, अवर सचिव | श्रीमती मुकुल सहाय, उप सचिव | अभियंता प्रमुख | सचिव |
| 12 | प्रशास्त्रा—१२ | लेखा से संबंधित एवं अन्य कार्य | — | श्री इप्टेखार अहमद, उप सचिव | श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव | सचिव |
| 13 | प्रशास्त्रा—१३ | बजट/आवंटन एवं अन्य कार्य | श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव | श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव | श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर सचिव | सचिव |
| 14 | प्रशास्त्रा—१४ | निर्बंधन, /नवीकरण/काली करण /निविदा से संबंधित न्यायालीय मामले, पथ निर्माण के भूमि अतिक्रमण संबंधी मामले | श्री इप्टेखार अहमद, उप सचिव | श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव | अभियंता प्रमुख | सचिव |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------------------------------|--|---|---|
| 15 | प्रशाखा-15 | लोक सूचना का अधिकार एवं लोक शिकायत निवारण | श्रीमती मंजु सीमा तिग्गा, अवर सचिव | श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव, (प्रथम अपीलीय प्राधिकार) | — | — |
|----|------------|---|------------------------------------|--|---|---|

2. श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर सचिव, एवं श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव एक दूसरे की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निष्पादन करेंगे।
3. श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का मुख्य निगरानी पदाधिकारी होंगे।
4. मुख्य जाँच आयुक्त/जाँच आयुक्त के यहाँ जारी विभागीय कार्यवाहियों में श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे।
5. श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव, सेवांत लाभ, NPS, HRMS, AEBAS, BBAS एवं मानवाधिकार संबंधी मामले, आपदा जोखिम न्यूनिकरण (DRP) एवं विधि समन्वय कोषांग/कोर्ट केस मोनिटरिंग सिस्टम (CCMS) के नोडल पदाधिकारी होंगे।
6. श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव SPARROW, राज्याधीन सेवाओं के नियुक्ति में महिलाओं को देय 35 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण के सम्यक अनुश्रवण; निर्वाचन एवं गैर तकनीकी कर्मियों के प्रशिक्षण संबंधी मामले हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे।
7. श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव विभाग के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे।
8. श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकार होंगे।
9. श्रीमती मंजु सीमा तिग्गा, अवर सचिव, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विभाग की लोक सूचना पदाधिकारी होंगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1 / अ०प्र०-१-३६ / २०११ - - ७ १४ / पटना, दिनांक ०९/०२/२४

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/ अपर सचिव के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/मुख्य निगरानी पदाधिकारी/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक)/सभी उप सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी- संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1 / अ०प्र०-१-३६ / २०११ - - ७ १४ / पटना, दिनांक ०९/०२/२४

प्रतिलिपि:-मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, गृह विभाग/सचिव, राज्य सूचना आयोग/सचिव, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग/अपर सचिव, वित्त विभाग/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार भिशन सोसाइटी, पटना/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, बिपार्ड, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

Sujeet office order new comp 2023

५०

३१८-१-२५८८